

पत्रांक 2850 / वनभूमि  
सेवा में,

दिनांक 27/7/2018

प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,  
उत्तरकाशी।

**विषय :-** राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 किमी०)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 30-05-2018) का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
1	2	3
1	In para-E of inline part I, it is mentioned that permanent and temporary Employment for 20 person and 25900 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be corrected.	मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी० है जिस हेतु प्रथम चरण की लागत रू० 119.65 लाख है एवं परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू० 485.00 आंकलित की गयी है जिसके अनुसार स्थाई/अस्थायी रोजगार दिवस संशोधित कर दिये गये हैं।
2	Justification is not authenticated by DFO, please upload justification at para- D (i) form A, part I authenticated by DFO.	औचित्य प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं है।
3	In the place of MOU, the CA suitability certificate is uploaded in the column L- (iv), g. while in these place the document needs to be uploaded MOU signed between user agency and present owner for CA regarding to area proposed for CA Form A part I.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग व आवेदक (लो०नि०वि०) के मध्य एम०ओ०यू० का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
4	42 trees per hectare does not account for 0.4 density. The State Govt. may review the density of the area proposed for diversion and provide NPV calculation accordingly, if required.	संशोधित घनत्व के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि आंकलित कर अपलोड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय  
27/7/18  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,  
उत्तरकाशी।